(1-6)

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय कमेटी की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 8.6.15 को वन भूमि हस्तान्तरण हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुपालन में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत निम्नलिखित मोटर मार्गों के सम्बन्ध में जिला स्तरीय बैठक की गयी –

1– ग्रामीण सड़क विभाग के अन्तर्गत रामनगर–रानीखेत मोटर मार्ग से लौकोट तक ग्रामीण मोटर मार्ग।

वनाधिकार अधिनियम– 2006 के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है और परियोजना के अन्तर्गत न तो कोई अनुसूचित जनजाति व वनवासी निवास करते हैं न ही इनके किसी प्रकार के अधिकार प्रभावित हो रहे है तथा परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई दावा लम्बित नहीं है।

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे –

1– इं0 बी0एस0 नेगी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैंण।

2– इं0 तारिक ज्याद, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैंण।

3– इं0 दीपक कुमार बिष्ट, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैंण।

तहसीलदार भिकियासैंण
जिला अल्मोड़ा।

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

पटवारी
क्षेत्र– अल्मोड़ा

AE

उप जिलाधिकारी,
भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

(1-6)

प्रारुप—30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector ……………..

No …………   Dated ……………..

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that ..0.554..... hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Works Deptt., Bhikn.. (name of user agency) for Rampur Ranikhet Road to Uyill Tokot Link Road (purpose for diversion of forest land) in…..Almora district falls within jurisdiction of…Danpo….. village (s) in.Bhikiyasain tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire… hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ..30-1......to ....30-4.annexure....—.....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा।

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of ...Almora.... district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. ....................I.A.S deputy commissioner,. .... on dated .... at time ....at .... in which application claiming rights in .Forest.... area measuring .0.554. hect for the construction of Village Road to Lokot forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of .... sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;................

Dated:.............

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– **ग्रामीण सड़क विभाग के अन्तर्गत रामनगर–रानीखेत मोटर मार्ग से लौकोट तक ग्रामीण मोटर मार्ग (लम्बाई 1.825 कि0मी0)।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ...

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ...

उपखण्ड .... परिक्षेत्र के अन्तर्गत .... (0.087 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.087 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.380 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.554 हे0 वन भूमि) का ग्रामीण निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भिकियासैंण) की दिनांक .... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ...., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री हेमन्त कुमार वर्मा उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष

2– श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य

3– श्री ललित जोशी सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य/सचिव

4– श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible] .... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्रामीण सड़क विभाग के अंतर्गत रामनगर-रानीखेत मोटर मार्ग से लौकोट तक ग्रामीण मोटर मार्ग (लम्बाई 1.825 कि0मी0) परियोजना हेतु 0.554 हे0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग, खण्ड - भिकियासैंण (अल्मोड़ा) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड .... परिक्षेत्र के अन्तर्गत रामनगर-रानीखेत मोटर मार्ग से लौकोट तक ग्रा0 मो0 मा0 परियोजना के निर्माण हेतु 0.554 हे0 वन भूमि ग्रा0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

AE

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– भिकियासैंण
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–........................
जनपद अल्मोड़ा

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– ग्रामीण सड़क विभाग के अन्तर्गत रामनगर–रानीखेत मोटर मार्ग से लौकोट तक ग्रामीण मोटर मार्ग (लम्बाई 1.825 कि0मी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....दनपौ........

तहसील ..भिकियासैंण..., जिला अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रामनगर-रानीखेत मोटर मार्ग से लौकोट तक ग्रामीण मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.087.. हे0 आरक्षित वन भूमि, ... हे0 सिविल सोयम भूमि 0.087 हे0, वन पंचायत भूमि ..0.380...... हे0) अर्थात कुल 0.554 हे0 वन भूमि का ग्रामीण निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....दनपौ.......... द्वारा दिनांक ..24.08.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ..दनपौ.............. के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग ...प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम सचिव मुहर सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दनपौ वि0ख0 भिकियासैन (अल्मोड़ा)	सरपंच वन पंचायत दनपौ तहसील भिक्यासैन (अल्मोड़ा)	ह0/– ग्राम प्रधान/सरपंच मुहर सहित चन्दन सिंह कड़ाकोटी ग्राम प्रधान दनपौ, भतरौजखान वि०ख० भिक्यासैण (अल्मोड़ा) मो० नं०: 8958057...

प्रारुप–30.4

दिनांक 24.08.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत दन्यौं

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	आनन्द सिंह S/. जीत सिंह	आनन्द सिंह
2.	चन्दन सिंह S/. धान सिंह	चन्दन सिंह
3.	राम सिंह S/. दान सिंह	रामसिंह
4.	जगत सिंह S/. राम सिंह	J Singh
5.	गणेश रकुलवे S/. पुर्षोत्तम रकुवे	[signature]
6.	हरीश सिंह S/. विजय सिंह	हरीशसिंह
7.	चन्दन सिंह S/. आनन्द सिंह	चन्दन सिंह

ह0/–
ग्राम प्रधान

चन्दन सिंह कड़ाकोटी
ग्राम प्रधान
दन्यौं, भतरौजखान
वि०ख० भिक्यासैण (अल्मोड़ा)
मो० न०: 8958057750